साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 8, अंक : 4 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 14 सितंबर 2022 से 20 सितंबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की चेतावनी

न्यूयार्क। क्या मानवता जलवायु परिवर्तन के मामले में गलत दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या इसके विनाशकारी परिणाम होंगें? विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के सहयोग से जारी नई रिपोर्ट यूनाइटेड इन साइंस में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है कि इस मामले में मानवता विनाश की दिशा में आगे बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर देशों की आकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच गहरी खाई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कार्रवाई के आभाव में इसके विनाशकारी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सामने आएंगें। रिपोर्ट में जारी आंकड़ें स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वो नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि वैश्विक महामारी के दौरान तालाबंदी के कारण जीवाश्म ईंधन के कारण होते उत्सर्जन में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब वो भी फिर से महामारी के पहले के स्तर से ऊपर पहुंच गई है। गौरतलब है कि 2020 में जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन में 5.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। शुरूआती आंकड़े दर्शाते हैं कि जनवरी से मई 2022 के बीच वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्तर में 2019 की इसी अवधि की तुलना में करीब 1.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके लिए अमेरिका, भारत और अन्य यूरोपीय देश जिम्मेवार हैं। इसी का नतीजा है कि मई 2022 में, मौना लोआ वैधशाला में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 420.99 पीपीएम पर पहुंच गया था जो 2021 में 419.13 पीपीएम दर्ज किया गया था। यही स्थिति बढ़ते तापमान की भी है जो हर नए दिन नई बुलंदियों पर पहुंच रही है। यदि बढ़ते तापमान की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात साल मानव इतिहास के अब तक के सबसे गर्म साल साबित हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 1850 से 1900 की तुलना में 2018 से 2022 के बीच वैश्विक औसत तापमान में 1.17 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इस बात की 93 फीसदी संभावना है कि अगले पांच वर्षों में से कम से कम एक साल 2016 से ज्यादा गर्म होगा, जोकि अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। वहीं इस बात की करीब 48 फीसदी सम्भावना है कि अगले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में वार्षिक औसत तापमान, 1850 से 1900 के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी उसके चलते स्थिति और गंभीर होती जाएगी। तब जलवायु में आने बदलावों से बचने की सम्भावना घटती जाएगी। देखा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद कुल ताप का करीब 90 फीसदी महासागरों में केंद्रित है। वहीं 2018 से 2022 के बीच महासागरों में यह गर्मी अन्य किसी पांच वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा मापी गई है। जानकारी मिली है कि पिछले दो दशकों में न केवल धरती बल्कि महासागरों का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने सन्देश में कहा है कि, इस वर्ष की यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि जलवायु में आते बदलावों के प्रभाव अब नए क्षेत्रों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जीवाश्म ईंधन की हमारी इस लत को हम और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इसके प्रभाव बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चिंता जताई है कि बाढ़, सूखा, लू, तूफान और जंगल में लगने वाली आग जैसी चरम मौसमी आपदाएं अब कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले रही हैं और उनकी आवृत्ति नए रिकॉर्ड बना रही है। हाल ही में यूरोप अमेरिका में छाया लू का प्रकोप, पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ और चीन अफ्रीका और अमेरिका में लम्बे समय से चला आ रहा सूखा इन्ही बदलावों का नतीजा है। इसी तरह मार्च से मई 2022 के बीच, दिल्ली ने रिकॉर्ड 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जिसके साथ ही इस दौरान दिल्लीवासियों ने लू की पांच लहरों का भी सामना किया। देखा जाए तो दिल्ली की आधी आबादी उन बस्तियों में रहती है जहां ऐसी और अन्य कूलिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी में इन घटनाओं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ेगा, साथ ही इसके विनाशकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव सामने आ सकते हैं। डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करना है तो इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को सात गुना बढ़ाना होगा।

पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थानीय भोपाल बाइकिंग क्लब के सदस्यों ने आष्टा जाकर पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया

भोपाल विगत रविवार को पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थानीय भोपाल बाइकिंग क्लब के सदस्यों ने आष्टा जाकर पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया यह कार्यक्रम बाइकिंग कम्यूनिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विश्व स्तर पर चलाया जा रहा है इसलिए इस दिन भोपाल के अलावा इंदौर , महू , उज्जैन , देवास जैसे शहरों के मोटरसाइकिल क्लब भी शामिल हुए बीबीसी के एडमिन राइडर जीत भोपाली (जीतेंद्र बोड़के) एवं को-एडमिन सिद्धांत तारण ने बताया कि इसमें स्लो रेस , बाइक रिले रेस , टेक्निकल रेस जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई इस अवसर पर क्लब ने अगस्त महीने के राइडर आफ़ द मंथ का भी ऐलान किया जो कि दीपम जैन बने । सिद्धांत ने आगे बताया कि यह पौधारोपण एक कवर्ड कैम्पस में किया गया है जिससे भविष्य में पौधे सुरक्षित रहें , इस राइड में सूबेदार स्नेहा ठाकुर , फराह सिद्दीकी, नवीन कपूर, प्रखर भटनागर, पुष्कर गाडगिल, सिद्धांत तारण, संदीप राठी , ऋषभ मंडल, आशीर्वाद दांडे, सिद्धार्थ तोमर, देवव्रत कुमार डे, सोनू कटारे, रितेश मोरे, शुभम गायकवाड़, रोहित, साहिल राज, प्रखर वर्मा, प्रवीण जोशी, सोनपाल, शुभांशु शर्मा, राजेश पांडे, मनीष शर्मा आदि शामिल हुए

देश के किसी भी शहर में हवा नहीं रही खराब, आगरा सहित 66 शहरों में रही बेहतर

नई दिल्ली ।देश के 151 शहरों में यमुनानगर की हवा सबसे ज्यादा खराब थी जहां प्रदूषण का स्तर 196 दर्ज किया गया, वहीं मदिकेरी में हवा सबसे ज्यादा साफ थी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 14 सितम्बर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 151 शहरों में से 66 में हवा बेहतर रही, जबकि 75 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 10 में मध्यम रही।

यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 71 दर्ज किया गया है। पिछले दिनों बारिश होने के कारण यहां की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो गया था। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 69, गाजियाबाद में 66, गुरुग्राम में 69, नोएडा में 55 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के संतोषजनक स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 39, चेन्नई में 70, बैंगलोर में 50, हैदराबाद में 45, जयपुर में 46 और पटना में 52 दर्ज किया गया। देश के जिन 66 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे नीचे यानी %बेहतर% रहा, उनमें अगरतला 23, आगरा 26, आइजोल 19, अमरावती 28, बागलकोट 38, बागपत 45, बेंगलुरु 50, भोपाल 38, ब्रजराजनगर 49, चामराजनगर 40, चिकबलपुर 29, चिक्कामगलुरु 34, दरभंगा 26, दावनगेरे 21, डिंडीगुल 45, एलूर 44, गांधीनगर 32, गोरखपुर 47, गुवाहाटी 44, ग्वालियर 34, हाजीपुर 33, हापुड़ 25, हसन 25, हावड़ा 34, हैदराबाद 45, इंदौर 50, जयपुर 46, झांसी 25, कैथल 43, कानपुर 28, कटनी 30, किशनगंज 32, कोलकाता 39, लखनऊ 44, मदिकेरी 18, मैहर 19, मंडीदीप 34, मुरादाबाद 50, मैसूर 34, नागपुर 31, नारनौल 29, ऊटी 49, पटियाला 38, पीथमपुर 42, प्रयागराज 42, पुदुचेरी 42, राजमहेंद्रवरम 42, रामनगर 39, रामनाथपुरम 45, रतलाम 27, सलेम 36, सतना 21, शिलांग 24, शिवमोगा 45, सिलीगुड़ी 31, श्रीनगर 47, तालचेर 47, ठाणे 44, तिरुवनंतपुरम 30, त्रिशूर 47, तिरुपति 38, उज्जैन 44, वाराणसी 36, विजयपुरा 40, वृंदावन 49 और यादगिर 29 आदि शामिल रहे।

देश के हर जिले में बनेगा पशुओं का श्मशान, पर्यावरण सुरक्षा के चलते सरकार ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली एनिमल वेल्फेयर बोर्ड आफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. ओपी चौधरी ने सभी राज्यों को जारी किए गए अपने पत्र में लिखा है कि कई पशु मालिक अपने मृत पशु का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए दर-दर भटकते हैं। वहीं कुछ लोग पशुओं को खुली जगह पर ही फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं...

देश के कई हिस्सों में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरस से राजस्थान समेत कुछ राज्यों से पशुओं के मौतों की भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पशुओं की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि मरने के बाद भी जीवों को सम्मान मिलना चाहिए, उनके शवों को यूं ही खुले में न फेंका जाए। वे अपने राज्य के हर जिले में कम से कम एक ऐसा श्मशान घाट जरूर बनाएंगे, जहां पर मृत पशुओं के शरीरों का दाह संस्कार उचित सम्मान के साथ किया जा सके।

एनिमल वेल्फेयर बोर्ड आफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. ओपी चौधरी ने सभी राज्यों को जारी किए गए अपने पत्र में लिखा है कि कोई भी पालतू किसी भी वजह से हमारे जीवन में आता है, तो वह हमें सिखाते हैं कि बिना किसी शर्त के प्यार करना, प्रतिबद्धता और वफादारी क्या है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं और फिर एक दिन हमें उस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है ,जब वे अपने प्राण खो बैठते हैं। ऐसे समय में अगर हम उन विकल्पों को जानते हैं जो उनके दाह संस्कार के लिए किए जाने में मदद करते हैं, तो यह हमारे लिए लाभकारी होता है। अपने पालतुओं को हमें छोड़कर जाते देखना आसान नहीं होता, मगर हम चाहते हैं कि उन्हें सम्मान के साथ इस संसार से विदा किया जाए। मरने के बाद उनकी देह का अपमान न हो। मृत पशुओं के शवों का निपटान हमारे देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मृत पशुओं के कारण रोगों को फैलने से रोकना, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मृत पशुओं को दफनाना या उन्हें जलाना एक जरूरी कदम होता है ।देश में कई बार ऐसा देखा गया है कि कई पशु मालिक अपने मृत पशु का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए दर-दर भटकते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि पालतू पशुओं का श्मशान में दाह संस्कार करने से जानवर की आत्मा को शांति मिलती है, तो कुछ लोग पशुओं को दफनाते हैं। वहीं कुछ लोग पशुओं को खुली जगह पर ही फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इस लिए हम प्रत्येक राज्य से अनुरोध करते हैं कि ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक श्मशान भूमि ऐसी जरूर बनाई जाए, जो केवल पालतू पशुओं के लिए हो। जहां पर लोग अपने पालतुओं का अंतिम संस्कार कर सकें।

हिंदुस्तान जिंक ने जमा कराए जुर्माने के 25 करोड़, क्षेत्र के विकास पर होंगे खर्च

भीलवाड़ा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दिल्ली के आदेश पर आखिर हिंदुस्तान जिंक ने 25 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि जमा करा दी। यह राशि संयुक्त खाते में जमा हुई, जिसका उपयोग जिला कलक्टर व जिंक के यूनिट हेड ही कर सकेंगे। राशि क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा जिंक को 90 लाख रुपए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के खाते में जमा कराने होंगे, जो पर्यावरण सुधार पर खर्च किए जाएंगे। एनजीटी ने हुरड़ा व शाहपुरा ब्लॉक में एक दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह जुर्माना लगाया। क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली। एनजीटी के आदेश पर पहली बार किसी कम्पनी ने इतनी बड़ी राशि जमा कराई है।

आगूंचा क्षेत्र के करीब 15 जनों ने जिंक के कारण फसल खराबा, जानवरों में बीमारियां तथा पेयजल की शुद्धता प्रभावित होने सहित अन्य समस्याओं को लेकर मुआवजे की मांग की और एनजीटी भोपाल में वाद किया। जिंक ने नियम से काम करने का तर्क दिया। मामले की भोपाल की जगह दिल्ली में सुनवाई का आवेदन किया था, जिसे स्वीकारा गया। इसी बीच, एनजीटी ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल दिल्ली, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर तथा जिला कलक्टर प्रतिनिधि की टीम बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। टीम ने जांच कर रिपोर्ट 25 जुलाई 2021 को एनजीटी में पेश की। इसमें आरपीसीबी ने 90 लाख रुपए के जुर्माना का प्रस्ताव किया था। 2 फरवरी 2022 को सुनवाई के बाद एनजीटी ने जिंक पर 90 लाख के साथ 25 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाते हुए तीन माह में रिपोर्ट मांगी थी। 1 मार्च 2022 को पुर्नविचार याचिका लगाई थी। एनजीटी ने इसकी सुनवाई करते हुए जुर्माने की राशि को यथावत रखते हुए 15 जुलाई को खाते में जमा राशि की रिपोर्ट मांगी थी। जिंक ने हाल ही में एचडीएफसी में संयुक्त खाता खोलने के साथ 25 करोड़ की राशि भी जमा करवा दी है।

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले मुरथल के रेस्तरां करें बंद, NGT का हरियाणा सरकार को आदेश

चंडीगढ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले मुरथल के रेस्तरां और सड़क किनारे भोजनालयों को बंद करें। साथ ही, मुख्य सचिव को पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने को लेकर एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों के जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखी है और पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है। पीठ ने कहा कि सड़क किनारे के सभी ढाबों, भोजनालयों, रेस्तरां को उनके तरल और ठोस कचरे के प्रबंधन और सामान्य साफ-सफाई की स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा कि उचित अवसर दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक बड़े पैमाने पर उल्लंघनों के मद्देनजर नियमों के पालन तक इकाइयों को बंद करने की प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 'प्रदूषण फैलाने' के संबंध में पिछले उल्लंघनों के लिए मुआवजे की वसूली की जाए। पीठ ने कहा, %हम हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि इस मामले पर गौर करें और पर्यावरण तथा लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करके स्थिति का समाधान करें। मुख्य सचिव एक माह के भीतर बैठक कर मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। एनजीटी ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है। पीठ ने कहा कि इसके अलावा बोर्ड अलग-अलग इकाइयों के लिए या संयुक्त रूप से इकाइयों के लिए सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों को आजमाने का सुझाव दे सकता है और उस आधार पर संचालन के लिए आवश्यक सहमति (सीटीओ) प्रदान कर सकता है। एनजीटी ने पूर्व में अधिकारियों को भोजनालयों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए एक ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया था और पूछा था कि क्षेत्र में ढाबों द्वारा विकेन्द्रीकृत शोधन संयंत्र क्यों नहीं स्थापित किया गया है। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा था कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के 31 दिसंबर, 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। पीठ ने कहा था कि रिपोर्ट 'बदहाल स्थिति' को प्रदर्शित करती है। पीठ ने कहा था कि 10 केएलडी (किलोलीटर प्रति दिन) प्रदूषक उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को अपशिष्ट के दूसरी जगह निपटारा से बचने के लिए मॉड्यूलर एसटीपी (सीवेज शोधन संयंत्र) लगाना चाहिए। एनजीटी हरियाणा के निवासी अभय दहिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोनीपत जिले में जी टी रोड, मुरथल पर रेस्तरां सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से कचरा फेंकने और जलाने समेत अशोधित पानी को बहाने के खिलाफ याचिका दायर की गई।

सिर्फ छह देशों से आता है उत्तरी प्रशांत में 90 प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक का कचरा

नई दिल्ली। दुनिया भर में महासागर लगातार कचरे से पट रहे हैं, यह अलग-अलग देशों के विभिन्न स्त्रोतों से यहां तक पहुंच रहा है। प्लास्टिक के कचरे के कारण यहां निवास करने वाले जीवों पर भारी खतरा मंडरा रहा है। अब उत्तरी प्रशांत महासागर में तैर रहे कचरे के पहाड़ को लेकर विभिन्न देशों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।

शोधकर्ताओं की एक टीम ने नमूने और परीक्षण के आधार पर पता लगाया कि नॉर्थ पैसिफिक गारबेज पैच (एनपीजीपी) में पाया जाने वाला 90 प्रतिशत से अधिक पहचाना गया कचरा सिर्फ छह देशों से आ रहा है। जिनमें से सभी प्रमुख औद्योगिक रूप से मछली पकड़ने वाले राष्ट्र हैं। यह शोध नीदरलैंड में ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट और वैगनिंगन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किया गया है। पहले के शोध से पता चला है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में उपोष्णकटिबंधीय इलाके के ऊपर तैरते हुए कचरे का एक विशाल द्वीप है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यहां दसियों हजार टन कचरा है, जिसमें से अधिकांश प्लास्टिक है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला है। नॉर्थ पैसिफिक गारबेज पैच (एनपीजीपी) के अस्तित्व ने हाल के वर्षों में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, हालांकि अब तक कचरे के स्त्रोत की पहचान नहीं हो पाई है। इस नए प्रयास में, शोधकर्ताओं ने एनपीजीपी से कचरे के 6,000 टुकड़ों को एकत्र कर अध्ययन किया। शोध का लक्ष्य कचरे के स्त्रोत को खोजना था। इसके लिए, उन्होंने मलबे पर छपे शब्दों की भाषा, या लोगो सहित पहचानने योग्य प्रतीकों की पहचान करने को साधन के रूप में अपनाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके कचरे के लगभग एक तिहाई टुकड़े अज्ञात थे, वे यह पता नहीं लगा सके कि उन्होंने किस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति की होगी या वे कहां से आए होंगे। लेकिन उन्होंने पाया कि कचरे का 26 प्रतिशत हिस्सा मछली पकड़ने के उपकरण से संबंधित था। उन्होंने यह भी पाया कि प्लास्टिक की रस्सियां और तैरने वाली वस्तुएं लगभग 3 प्रतिशत थी, लेकिन नॉर्थ पैसिफिक गारबेज पैच (एनपीजीपी) में 21 प्रतिशत मात्रा ऐसी थी जिसका पता लगाना बहुत कठिन था। शोधकर्ताओं ने 232 वस्तुओं की पहचान उनके देश के आधार पर की, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जापान का 33.6 प्रतिशत था। इसके बाद चीन 32.3 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 9.9 प्रतिशत पर था। सूची में अन्य देशों में 6.5 प्रतिशत पर अमेरिका, 5.6 प्रतिशत पर ताइवान और कनाडा 4.7 प्रतिशत पर था। कुल मिलाकर, इन छह देशों में नॉर्थ पैसिफिक गारबेज पैच (एनपीजीपी) में पाए जाने वाले पहचाने जाने योग्य कचरे का 92 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया की कि एनपीजीपी में कचरे के स्त्रोतों में भूमि आधारित गतिविधियों की तुलना में मछली पकड़ने से आने के आसार 10 गुना अधिक थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके काम में पहचाने गए शीर्ष छह देशों में से सभी नियमित रूप से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के कार्यों में जुड़े हुए हैं। यह शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है।

रेत बिन नदी- क्या बदले जाने चाहिए नदियों में रेत खनन के नियम?

नई दिल्ली। देशभर में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन को देखते हुए विशेषज्ञ अब इसे लघु नहीं बल्कि प्रमुख खनिज के तौर पर वर्गीकृत करने की मांग कर रहे हैं। फोटोः वर्षा सिंहदेशभर में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन को देखते हुए विशेषज्ञ अब इसे लघु नहीं बल्कि प्रमुख खनिज के तौर पर वर्गीकृत करने की मांग कर रहे हैं। फोटोः वर्षा सिंह देशभर में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन को देखते हुए विशेषज्ञ अब इसे लघु नहीं बल्कि प्रमुख खनिज के तौर पर वर्गीकृत करने की मांग कर रहे हैं। फोटोः वर्षा सिंह

कनालसी गांव में एक कतार में यमुना नदी से निकाले गए रेत और बजरी के ऊंचे-ऊंचे टीले धूल उड़ाते नजर आते हैं। धूल इतनी ज्यादा थी कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ ही सेकेंड्स में धूल की परत चढ़ गई। कनालसी गांव से प्रतिदिन 8 घंटे खनन से 6500 टन रेत और प्रति वर्ष 19.50 लाख टन रेत उत्पादन की अनुमति दी गई है। यमुना स्वच्छता समिति के सदस्य मेघ सिंह कहते हैं यहां दिन ही नहीं रात में भी धड़ल्ले से खनन किया जाता है। नदी के किनारों और बीचोंबीच प्रवाह से भी रेत निकाला जाता है। सिर्फ 3 मीटर तक खनन की अनुमति है लेकिन नदी में 50-60फुट (करीब 18 मीटर) तक गहरे कुंड बन गए हैं। शुरु के 2-3 साल जिधर से मर्जी खनन कर दिया। उसमें खेती की काफी जमीनें खराब हुईं। प्रशासन के संज्ञान में सबकुछ है। कभी-कभार निरीक्षण भी किया गया। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होते हमने आजतक नहीं देखा।

रेत खनन में लगी जेसीबी, पोकलैंड मशीनों और रेत से लदे ट्रकों को दिखाते हुए मेघ सिंह कहते हैं कि यहां रेत से भरे कितने ट्रक रोज फेरी लगाते हैं, ये निगरानी करने वाला तो कोई है ही नहीं। मेघ सिंह व अन्य ग्रामीणों आरोप है कि खनन कंपनियों की मनमानी का हमने विरोध किया तो प्रशासन ने उलटा ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर दिया। यमुना किनारे ग्रामीणों के साथ जिस समय ये बातचीत हो रही थी, खनन कंपनी से जुड़े दो लोग लगातार हमें नोटिस कर रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे और हमारे साथ चल रहे थे। दोनों खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले डंपर चलाते थे। उनमें से एक व्यक्ति के साथ हुई बातचीत में स्वीकार किया कि रात में और नदी के किनारों और बीचोंबीच प्रवाह में अवैध खनन किया जाता है। देशभर की नदियों में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन की निगरानी बड़ा मुद्दा है। खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग सभी खनन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। देश में 780 जिले हैं यानी 780 अलग-अलग इकाइयां खनन की निगरानी करती हैं। इसके लिए एक केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। पानी के बाद रेत प्रकृति से लिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क-2018 में वर्ष 2017 में देश में 700 मिलियन टन रेत की मांग का मोटे तौर पर आकलन किया गया। इसके 6-7त्न प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। बावजूद इसके यह उपखनिज की श्रेणी में आता है। दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की वकालत करने वाली पारुल गुप्ता कहती हैं देशभर की नदियों का क्षेत्र खनन के लिए खुला है। ये नदी के पूरे इको सिस्टम को खतरे में डालता है। रेत खनन के पर्यावरण पर हो रहे असर की व्यापकता को देखते हुए अब इसे लघु नहीं बल्कि प्रमुख खनिज माना जाना चाहिए। रेत की तुलना में प्रमुख खनिज के तौर पर सूचीबद्ध कोयले के खनन के लिए पर्यावरणीय अनुमति के नियम सख्त हैं। माइन्स एंड मिनरलस (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट) 1957 में प्रमुख और उपखनिज को परिभाषित किया गया। पारुल गुप्ता का तर्क है 1957 के बाद से अब तक स्थिति बदल चुकी है। आबादी और निर्माण परियोजनाएं बढ़ गई हैं। रेत का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली-नोएडा समेत महानगरों में बहुमंजिला इमारतें, मॉल्स, सड़कें सब के लिए रेत, बजरी, सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। बरसात के मौसम में जुलाई से सितंबर तक खनन प्रतिबंधित होता है। बारिश-बाढ़ के साथ नदी में रेत-बजरी और खनिज बहकर आते हैं। मानसून से पहले और बाद यह अध्ययन किया जाता है कि नदी में कितना खनिज जमा हुआ। इसी आधार पर नदी से निकालने जाने वाले रेत व अन्य उपखनिजों की मात्रा तय की जाती है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल (एसएएनडीआरपी) के असोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत अपने अध्ययन के आधार पर कहते हैं पिछले 4 वर्षों से यमुना रिवर बेसिन में सामान्य से कम मानसूनी बारिश दर्ज की जा रही है। (2018, 2019, 2020 और 2021)। कम वर्षा यानी उपखनिज की मात्रा भी कम होग वर्ष 2020 की रेत खनन गाइडलाइन्स के मुताबिक बरसात के बाद नदी में जमा रेत-बजरी की मात्रा यानी पुनर्भरण दर के आधार पर किसी भी खनन पट्टे को दी गई अनुमति और रेत निकासी का ऑडिट हर दो वर्ष पर अनिवार्य तौर पर कराना होगा। इसके आधार पर ही आगे खनन किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बीडीए की अनोखी पहल, अब पेड़ों के नाम से जानी जाएंगी बरेली की सड़कें

बरेली पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली को निखारने के लिए विकास प्राधिकरण (बीडीए) अब नई पहल कर रहा है। शहर की सड़क के दोनों तरफ विशेष प्रकार के पौधे लगातार उसे वृक्ष के नाम पर पहचान देने की पहल शुरू की है। रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर पांच की मुख्य मार्ग पर मौलश्री के पौधे लगाकर मौलश्री रोड नाम रख इसकी शुरुआत कर दी है। योजना के तहत इस वर्ष 40 से अधिक सड़क को नई पहचान दी जाएगी।

स्मार्ट सिटी में बीते कुछ वर्ष में बेतहाशा ढंग से हुई वृक्षों की कटाई से वृक्ष लुप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने और शहरीकरण तेजी से बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। इसको देखते हुए बरेली विकास प्राधिकरण पर्यावरण सुरक्षा और शुद्ध वातावरण के लिए सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण कर रहा है। सड़क किनारे पौधे लगाकर उसी के नाम सड़क की पहचान दी जा रही है। रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर पांच में मौलश्री वाली रोड का नाम रखने के बाद अब एक्जीक्यूटिव क्लब रोड को गुलमोहर रोड और दोहरा रोड को पीपल वाली रोड का नाम किए जाने की तैयारी है। इसके लिए सड़क किनारे पौधे लगाने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष 30 हजार से अधिक फल व छायादार के साथ औषधीय पौधे लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रहा है।

बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रामगंगा नगर में ही बीडीए ने एक हेक्टेयर में मियावाकी वन तैयार करने का निर्णय लिया है। इसमें भी 20 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। यह पौधे दो से ढाई वर्ष में वृक्ष समान तैयार होकर शुद्ध हवा देने में सक्षम हो जाएंगे। बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि सेक्टर एक में नवग्रह और हर्बल पार्क भी विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें औषधीय गुण वाले ब्राम्ही, सतावर, घृत कुमारी अश्वगंधा, मीठी नीम, गिलोय, तुलसी, अशोक जैसे कई अन्य प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे। योजना में 15 स्थानों पर हर्बल पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। वहीं ग्रेटर बरेली में रामायण वाटिका में रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। इसमें दस हजार पौधे लगाने की योजना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008